UPEW010061082017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

दण्ड प्रकीर्ण संख्या–651/2017

(सम्बन्धित विशेष वाद संख्या–75/2015)

राज्य बनाम रामचन्द्र आदि।

धारा–446 द०प्र०संहिता।

थाना–इकदिल।

जनपद–इटावा।

दिनांक–14.03.2026

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी।

आज आवेदक/जामिनदार नाहर सिंह मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

आवेदक/जामिनदार नाहर सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसने अभियुक्त अजीम खां की जमानत ली थी लेकिन अभियुक्त हाजिर नहीं हो रहा है। वह गरीब वृद्ध व्यक्ति है। वह पूरी जमानत धनराशि जमा करने में असमर्थ है। वह मुकदमें में जुर्म इकबाल कर रहा है। उक्त आधारों पर याचना की गयी कि उसका मुकदमा जुर्म इकबाल के आधार पर निर्णीत किया जाये।

आवेदक/जामिनदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.11.2017 के अनुपालन में जमानत धनराशि की वसूली हेतु अन्तर्गत धारा–446 द०प्र०संहिता के तहत संस्थित किया गया है।

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.03.19 15:03:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रकरण से सम्बन्धित विशेष वाद संख्या–75/2015 राज्य बनाम अजीम आदि मु० अ० संख्या–503/2014 अन्तर्गत धारा–307 भा०द०संहिता व धारा–12/14 द०प्र०क्षे०अधिनियम थाना इकदिल जिला इटावा के मामले से सम्बन्धित अभियुक्त अजीम की जमानत आवेदक/जामिनदार नाहर सिंह एवं एक अन्य जामिनदार राजेश कुमार द्वारा ली गयी थी,जिसमें से आवेदक नाहर सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जुर्म इकबाल के आधार पर जमानत धनराशि कम करने की याचना की गयी है,उसके द्वारा कथन किया गया है कि वह गरीब व वृद्ध व्यक्ति है वह पूरी जमानत धनराशि जमा करने में असमर्थ है। यह भी दर्शित है कि प्रकरण से सम्बन्धित विशेष वाद की पत्रावली में अभियुक्त अनुपस्थित चल रहा है।

अतः आवेदक/जामिनदार नाहर सिंह की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत धनराशि अंकन का 1/3 भाग जमा कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आज आवेदक/जामिनदार नाहर सिंह मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। आवेदक/जामिनदार नाहर सिंह द्वारा जमानत धनराशि अंकन 30,000/–रूपये का 1/3 भाग अर्थात 10,000/–रूपये आज दिनांक 14.03.2026 को रसीद संख्या 0083252 से जमा किया गया। इस सम्बन्ध में कार्यालय आख्या भी आदेशपत्रक पर अंकित है कि जामिनदार नाहर सिंह की ओर से जमानत धनराशि जमा किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रकरण से सम्बन्धित एक अन्य **जामिनदार राजेश कुमार द्वारा भी अभियुक्त अजीम खां की जमानत ली गयी थी,जोकि अभी उपस्थित नहीं आया है। अतः कार्यालय उक्त जामिनदार के विरूद्ध नोटिस जारी करना सुनिश्चित करें।**

कार्यालय आख्या से यह दर्शित होता है कि प्रश्नगत दण्ड प्रकीर्ण वाद में अभियुक्त अजीम खां के जामिनदार नाहर सिंह द्वारा जमानत धनराशि अंकन 30,000/–रूपये का 1/3 भाग अर्थात 10,000/–रूपये आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 14.03.2026 को रसीद संख्या 0083252 से जमा किया जा चुका है।

अतः जामिनदार नाहर सिंह को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

प्रकरण में अब एक अन्य जामिनदार राजेश कुमार के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित रहेगी। उक्त जामिनदार के विरूद्ध नोटिस जारी हो।

पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 09.04.2026 को पेश हो।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

J.O.Code No–1546